ब्रैंटफर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संख्यांक 36)

[15 सितंबर, 1987]

विद्युत उपस्करों का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, विनिर्माण और उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करके, जनसाधारण के हितसाधन के लिए ब्रैंटफर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अंतरण का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

ब्रैंटफर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं का, अर्थात्, विद्युत उपस्करों का, विनिर्माण और उत्पादन करता था ;

और ब्रैंटफर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड के उपक्रमों का प्रबंध केंद्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन ग्रहण कर लिया था ;

यह आवश्यक है कि ब्रैंटफर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन कर लिया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के उपक्रम, पूर्वोक्त वस्तुओं का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, विनिर्माण और उत्पादन जारी रखकर जनसाधारण का हितसाधन करते रहे ;

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ब्रैंटफर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1987 है ।

(2) धारा 26 और धारा 27 के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे तथा इस अधिनियम के शेष उपबंध 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एंड्रू यूल" से एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ;

(ख) "नियत दिन" से 1 अप्रैल, 1986 अभिप्रेत है ;

(ग) "आयुक्त" से धारा 14 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(घ) "कंपनी" से ब्रैंटफर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में 6 क्लाइव रोड, कलकत्ता में है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार उस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ज) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कंपनी के उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

3. कंपनी के उपक्रमों का केंद्रीय सरकार को अंतरण और उनका उसमें निहित होना—नियत दिन को कोई कंपनी के उपक्रम और उसके उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केंद्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कंपनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम संपत्ति, जिसके अंतर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, चेक, मांगदेय ड्राफ्ट, आरक्षित निधियां, विनिधान तथा बही ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उद्‌भूत होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे और तत्संबंधी सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर और किसी भी प्रकार के अन्य सभी दस्तावेजें भी हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी संपत्तियां, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर, किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी, और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारण की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को, जो ऐसी संपत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बंधित करता है, वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(3) किसी ऐसी संपत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन, केंद्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, प्रत्येक बंधकदार और ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के अंदर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार और अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का बंधकदार या ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम में से और धारा 8 के अधीन अवधारित रकमों में से भी, बंधक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए, अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा, किंतु ऐसा कोई बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केंद्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) किसी ऐसे उपक्रम के संबंध में, जो नियत दिन के पूर्व किसी भी समय धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है, कंपनी को प्रदत्त और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए ऐसे दिन को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार प्रवृत्त बनी रहेगी तथा धारा 6 के अधीन ऐसे उपक्रम के एंड्रू यूल में निहित होने की तारीख से ही वह कंपनी ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में प्रतिस्थापित हो गई समझी जाएगी मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत एंड्रू यूल को प्रदत्त हो गई हो और वह कंपनी उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए उसे वह कंपनी उसके निबंधनों के अनुसार धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को, किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गई है, कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या प्रस्तुत किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लंबित है तो कंपनी के उपक्रमों के अंतरण या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एंड्रू यूल में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां एंड्रू यूल द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए कंपनी का दायी होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न कंपनी का प्रत्येक दायित्व, कंपनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एंड्रू यूल में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां एंड्रू यूल के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा ।

(2) कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् वस्तुओं के प्रदाय के लिए कंपनी को दिए गए अग्रिमों या कंपनी को प्रदत्त की गई सामग्रियों के संबंध में उत्पन्न होने वाला दायित्व, नियत दिन से ही, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल का दायित्व हो जाएगा और उसका उन्मोचन उस सरकार या एड्रू यूल द्वारा, जब और जैसे ही ऐसे अग्रिमों और प्रदायों के लिए संदाय शोध्य और संदेय हो जाए, तब और वैसे ही किया जाएगा ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि—

(क) इस धारा में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कंपनी का कोई दायित्व, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एंड्रू यूल में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां एंड्रू यूल के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कंपनी के उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न किसी मामले, दावे या विवाद के बारे में, नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एंड्रू यूल में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वह एंड्रू यूल के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए नियत दिन के पूर्व उपगत कंपनी का कोई दायित्व, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन एंड्रू यूल में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां एंड्रू यूल के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. कंपनी के उपक्रमों के एंड्रू यूल में निहित करने का निदेश देने की केंद्रीय सकार की शक्ति—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि कंपनी के उपक्रम और कंपनी के उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कंपनी के अधिकार, हक और हित, केंद्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय या तो अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले की या पश्चात्वर्ती ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एंड्रू यूल में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कंपनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित तथा धारा 5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट उसके दायित्व उपधारा (1) के अधीन एंड्रू यूल में निहित हो गए हैं, वहां एंड्रू यूल ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केंद्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही, एंड्रू यूल के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

7. रकम का संदाय—केंद्रीय सरकार को धारा 3 के अधीन कंपनी के उपक्रमों का और ऐसे उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक तथा हित का अंतरण किए जाने और उनके उसमें निहित होने के लिए, केंद्रीय सरकार कंपनी को नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से सैंतीस लाख पचास हजाए रुपए की रकम देगी ।

8. अतिरिक्त रकमों का संदाय—(1) केंद्रीय सरकार, कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध से उसके वंचित दिए जाने के लिए, कंपनी को, उस तारीख से प्रारंभ होकर जिसको उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसरण में, कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध ग्रहण किया गया था, नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कंपनी को पांच हजार रुपए प्रति वर्ष की दर से संगणित रकम नकद देगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के उपबंधों के भूतलक्षी प्रवर्तन के प्रतिफलस्वरूप, कंपनी को, नियत दिन से प्रारंभ होकर उस तारीख को, जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए पांच हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम भी नकद देगी ।

(3) धारा 7 में निर्दिष्ट रकम और उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार अवधारित रकमों पर, चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधरण ब्याज, नियत दिन से प्रारंभ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केंद्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए मिलेगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार अवधारित रकम कंपनी को उस रकम के अतिरिक्त देगी, जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट है ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कंपनी के उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उनके दायित्वों का उन्मोचन, कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार, धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम में से और उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकम में से भी, किया जाएगा ।

अध्याय 4

कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध, आदि

9. कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध, आदि—कंपनी के उन उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबंध, जहां केंद्रीय सरकार ने धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां एंड्रू यूल में निहित होगा और तब एंड्रू यूल अन्य सब व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी सभी बातें करने की हकदार होगी जिनका प्रयोग करने और जो बातें करने के लिए कंपनी अपने उपक्रमों के संबंध में प्राधिकृत थी ।

10. कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां आदि परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध एंड्रू यूल में निहित हो जाने पर, ऐसे निहित होने से ठीक पूर्व कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति,

एंड्रू यूल को ऐसी सभी आस्तियां, लेखाबहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें, जो ऐसी कंपनी के उपक्रमों के संबंध में उनकी अभिरक्षा में हों, परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार, एंड्रू यूल को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे, और यदि एंड्रू यूल ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह केंद्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिसमें कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध उसके द्वारा संचालित किया जाएगा या किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में जो ऐसे प्रबंध के दौरान उत्पन्न हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगी ।

11. व्यक्तियों का अपने कब्जे में की आस्तियों आदि का लेखा-जोखा देने का कर्तव्य—(1) कोई व्यक्ति जिसके अपने कब्जे या नियंत्रण में, नियत दिन को, कंपनी के स्वामित्व के किसी ऐसे उपक्रम से संबंधित कोई आस्तियां, बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागज-पत्र हैं, जो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार में या एंड्रू यूल में निहित हो गए हैं, और जो कंपनी के हैं, या जो इस प्रकार उसके होते यदि कंपनी के स्वामित्व के उपक्रम केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल में निहित न हुए होते, उक्त आस्तियों, बहियों, दस्तावेजों और अन्य कागज-पत्रों का केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल को लेखा-जोखा देने के दायित्वाधीन होगा तथा केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल को या किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उनका परिदान कर देगा ।

(2) केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल, कंपनी के उपक्रमों का, जो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल में निहित हो गए हैं, कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगी या करा सकेगी ।

(3) कंपनी केंद्रीय सरकार को अपनी उन सब संपत्तियों और आस्तियों की, जो नियत दिन को उन उपक्रमों की थी जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, पूर्ण सूची ऐसी अवधि के भीतर देगी जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे तथा इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल कंपनी को सभी उचित सुविधाएं देगी ।

अध्याय 5

कंपनी के कर्मचारियों के बारे में उपबंध

12. कर्मचारियों का बना रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के किसी उपक्रम में नियोजित रहा है,—

(क) नियत दिन से ही, केंद्रीय सरकार का कर्मचारी, और

(ख) जहां कंपनी के उपक्रम, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन एंड्रू यूल में निहित होने के लिए निदेशित हैं, वहां ऐसे निहित होने की तारीख से ही, एंड्रू यूल का कर्मचारी,

हो जाएगा तथा, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल के अधीन पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में कंपनी के प्रबंधतंत्र और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा 28 जनवरी, 1986 और 30 जनवरी, 1986 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन द्वारा यथा उपांतरित, नियत दिन के ठीक पूर्व उसे अनुज्ञेय, अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा, और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल को अंतरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

13. भविष्य निधि तथा अन्य निधियां—(1) जहां कंपनी ने अपने उपक्रमों में से किसी में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल को अंतरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के संबंध में जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल को अंतरित हो गई हैं, उस सरकार या एंड्रू यूल द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

14. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) धारा 7 और धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति जिसे आयुक्त ने अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उसका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षत: प्रदान की गई थी, प्राधिकार के रूप में नहीं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

15. केंद्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केंद्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अंदर आयुक्त को कंपनी को संदाय करने के लिए,—

(क) उतनी रकम नकद देगी जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर है ; और

(ख) उतनी अतिरिक्त रकम नकद देगी जो धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के बराबर है ।

(2) केंद्रीय सरकार भारत के लोक लेखा में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन उसे दी गई प्रत्येक रकम, उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त कंपनी के ऐसे उपक्रमों के संबंध में अभिलेख रखेगा जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय किया जाता है ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

16. केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया ऐसा कोई धन जो कंपनी को उसके उन उपक्रमों के संबंध में शोध्य है जो केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल में निहित हो गए हैं, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने का हकदार इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की अवधि से संबंध रखती है ।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के संबंध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कंपनी के किसी ऐसे दायित्व का जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई दायित्व नहीं है, उन्मोचन करने के लिए उस सरकार या एंड्रू यूल द्वारा नियत दिन के पश्चात् किया गया है, और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त हैं जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल द्वारा किया गया है ।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के संबंध में कंपनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, कंपनी के दायित्व होंगे ।

17. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के किसी उपक्रम के संबंध में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत, कंपनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अंदर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परंतु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अंदर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अंदर दावा ग्रहण कर सकेगा, किंतु इसके पश्चात् नहीं ।

18. दावों की पूर्विकता—धारा 16 के अधीन किए गए दावों को निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग 1 को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग 2 को प्रवर्ग 3 पर अग्रता दी जाएगी और इसी प्रकार आगे भी दी जाती रहेगी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और पूर्णत: संदत्त किए जाएंगे, किंतु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णत: चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे आनुपातिक रूप में कम कर दिए जाएंगे और तदनुसार संदत्त किए जाएंगे; और

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के उन्मोचन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

19. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 17 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और उक्त पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत किसी दावे की परीक्षा करे ।

20. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा ।

(2) इस प्रकार नियत की गई तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में और प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विनिर्दिष्ट समय के अंदर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंदर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक है और कंपनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, दावे को पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्‌भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अंतर्गत वह या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठक करेगा, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक सामग्री का जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परंतु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय को होगी और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

21. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकमें शोध्य हैं और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कंपनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

22. कंपनियों को रकमों का संवितरण—(1) यदि कंपनी के उपक्रमों में से किसी उपक्रम के संबंध में आयुक्त को संदत्त धन में से, अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो वह ऐसे अतिशेष का संवितरण संबंधित कंपनी को करेगा ।

(2) जहां कोई मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एड्‌ यूल में निहित हो गई है किंतु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति कंपनी की नहीं है, वहां, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या एंड्‌ यूल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी, उपस्कर और अन्य संपत्ति को उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर कब्जे में रखे रहे जिन पर वे नियत दिन से ठीक पूर्व कंपनी के कब्जे में थी ।

23. असंवितरित या अदावाकृत रकम का साधारण राजस्व खाते में निक्षिप्त किया जाना—आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, जिसको आयुक्त का पद अंतिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, असंवितरित या अदावाकृत रहता है, आयुक्त द्वारा केंद्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते को अंतरित किया जाएगा किंतु इस प्रकार अंतरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केंद्रीय सरकार को किया जा सकेगा और उस संबंध में इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी

मानो ऐसा अंतरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय के लिए किया गया आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए किया गया आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

25. संविदाएं निष्प्रभाव होंगी जब तक कि केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल उनका अनुसमर्थन न कर दे—प्रत्येक संविदा जो कंपनी द्वारा अपने उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई है और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल, जिसमें इस अधिनियम के अधीन ऐसे उपक्रम निहित हुए हैं, लिखित रूप में अनुसमर्थन नहीं कर देती और केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में उसमें ऐसा परिवर्तन या उपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परंतु केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल किसी संविदा या अनुसमर्थन करने में लोप या उसमें कोई परिवर्तन या उपांतरण तब तक नहीं करेगी जब तक कि—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी संविदा असस्मक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के या एंड्रू यूल के हितों के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या संविदा में कोई परिवर्तन या उपांतरण करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देती ।

26. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) कंपनी के उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति को, अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रहते हुए, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल से ऐसी संपत्ति को सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कंपनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) ऐसे उपक्रमों से संबंधित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल को, या, यथास्थिति, उस सरकार या एंड्रू यूल द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा ; या

(घ) कंपनी के उपक्रमों से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखाबहियों या रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केंद्रीय सरकार या एंड्रू यूल या, यथास्थिति, उस सरकार या एंड्रू यूल द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परिदान करने में असफल रहेगा ; या

(ङ) कंपनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

27. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव

या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।

28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी या एंड्रू यूल या उस सरकार या एंड्रू यूल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, केंद्रीय सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी या एंड्रू यूल या उस सरकार या एंड्रू यूल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

29. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस धारा और धारा 30 तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केंद्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

30. नियम बनाने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके अंदर और वह रीति जिसमें धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन कोई सूचना दी जाएगी ;

(ख) वह रीति जिसमें धारा 13 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के धन का उपयोग किया जाएगा ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

31. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 17, धारा 19(1), धारा 20(1) और धारा 22(1) देखिए]

पूर्विकता-क्रम

प्रवर्ग 1

(क) कंपनी के कर्मचारियों को संदेय मजदूरी, वेतन और अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित प्रीमियम के लिए या किसी अन्य प्रयेाजन के लिए कंपनी के कर्मचारियों के वेतनों और मजदूरी में से की जाने वाली कटौतियां ।

(ग) ऐसे अभिदायों के संबंध में बकाया जो कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि या ऐसे अभिदायों का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किए जाने हैं ।

प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की तारीख

प्रवर्ग 2

निम्नलिखित द्वारा दिए गए उधारों की मूल रकम, अर्थात् :—

(i) केंद्रीय सरकार ;

(ii) कोई राज्य सरकार ;

(iii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं ;

(iv) कोई अन्य स्रोत ।

प्रवर्ग 3

(क) कोई ऐसे उधार जिनका लाभ इस कंपनी ने धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट संक्रियाओं से भिन्न, किन्हीं व्यापारिक या विनिर्माण संक्रियाओं को चलाने के प्रयोजन के लिए उठाया है ।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों या अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं की कोई शोध्य रकमें, जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट से भिन्न माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में हैं ।

(ग) उधारों और अग्रिम धनों पर ब्याज की बकाया ।

प्रवर्ग 4

(क) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) कोई अन्य शोध्य रकमें ।

प्रबंध-ग्रहण से पूर्व की अवधि

प्रवर्ग 5

निम्नलिखित द्वारा दिए गए प्रतिभूत उधारों की मूल रकम, अर्थात् :—

(i) केंद्रीय सरकार ;

(ii) कोई राज्य सरकार ;

(iii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं ।

प्रवर्ग 6

निम्नलिखित द्वारा दिए गए अप्रतिभूत उधारों की मूल रकम, अर्थात् :—

(i) केंद्रीय सरकार ;

(ii) कोई राज्य सरकार ;

(iii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं ।

प्रवर्ग 7

(क) कोई ऐसे उधार जिनका लाभ इस कंपनी ने किन्हीं व्यापारिक या विनिर्माण संक्रियाओं को चलाने के प्रयोजन के लिए उठाया है ;

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों या अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं की कोई शोध्य रकमें, जो माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में है ;

(ग) उधारों और अग्रिम धनों पर ब्याज की बकाया ;

(घ) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ;

(ङ) कोई अन्य उधार या शोध्य रकमें ।

———